



# राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लाईमस्टोन

खनिज भवन, 8 वेस्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड, जोधपुर-342011 (राज.)

फोन : 0291.2511031 फैक्स : 0291.2511029

ई-मेल: [sanumines@yahoo.in](mailto:sanumines@yahoo.in), [jodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in](mailto:jodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in)

वैब: [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com)

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी-89-90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्या : RSM/ SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20/ दिनांक :28.08.2019.

सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर के लिए एक (01) एसी बस (32-सीटर)  
एवं एक (01) एसी बस (21-सीटर) किराये पर लेने हेतु ई-निविदा प्रपत्र

द्वारा

महाप्रबन्धक (एलएस)

आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जोधपुर जारी

ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.08.2019 से 19.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 20.09.2019 अपरान्ह 3.30 बजे
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 4720 / - (वस्तु एवं सेवाकर सहित)

रजिस्टर्ड कार्यालय : आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, सी-89-90, जनपथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर-302015 (राज.) फोन: 0141-2743734 फैक्स: 0141-2743735	कॉर्पोरेट कार्यालय : 4, मीरा मार्ग, उदयपुर-313001 (राज.) फोन: 0294-2428763-67 फैक्स: 0294-2428739, 2428770, 5100305	एसबीयू-पीसी( लाइम स्टोन) कार्यालय 8, वेस्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड, जोधपुर- 342011 (राज.) फोन: 0291-2511031 फैक्स: 0291-2511029
--	---	---



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)  
एसबीयू-पीसी लाईमस्टोन  
8 वेस्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड़, जोधपुर-342011 (राज.)  
फोन: 0291-2511031 फैक्स: 0291-2511029  
ई-मेल: sanumines@yahoo.in, वैब: www.rsmm.com  
रजिस्टर्ड ऑफिस : सी.89&90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर  
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20/ दिनांक :28.08.2019.

### ई-निविदा सूचना

कम्पनी की सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर के लिए 2 (दो) वर्ष की अवधि हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द ई-निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है :-

कार्य का संक्षिप्त विवरण	निविदा प्रपत्र डाउनलोड व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर पर एक एसी बस (32 सीटर) एवं एक (01) एसी बस (21-सीटर) 2X2 पुष बैक सीटों वाली कुल दो (02) एसी बसे (पीछे के एक्सल पर चार पहिये हों) किराये पर लेने हेतु जो कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जैसलमेर से सानु खदान तक ड्यूटी पर सामान्य एवं अन्य पालियों में लाने एवं ले जाने के लिए प्रयुक्त होगी, जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 125 कि.मी. का माना जाएगा । मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद का होना आवश्यक है ।	ऑनलाईन निविदा मिलने की अवधि दिनांक 28.08.2019 से दिनांक 19.09.2019 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक । ऑनलाईन निविदा भरने की अन्तिम तिथि व समय 19.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक । ऑनलाईन निविदा खोलने (प्रथम भाग) की तारीख 20.09.2019 को अपरान्ह 3.30 बजे तक	बयाना राशि - रु. 185000/- निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 4720/- मूसं. कर (अप्रतिदेय) ई-निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 1000/- का डी. डी. जो कि एम. डी., आर.आई.एस. एल., जयपुर के नाम देय हो	2 (दो) वर्ष रूपये 92.64 लाख

निविदा सम्बन्धित विस्तृत जानकारी [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com), [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) तथा [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) पर उपलब्ध है ।

महाप्रबन्धक (एलएस)



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लाईमस्टोन

8, वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर-342011 (राज.)

फोन: 0291.2511031 फैक्स: 0291.2511029

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

### विस्तृत ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20/ दिनांक :28.08.2019

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से ऑन-लाईन निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती हैं। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का संक्षिप्त विवरण	बयाना राशि	कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर पर एक एसी बस (32 सीटर) एवं एक (01) एसी बस (21-सीटर) 2x2 पुष बैक सीटों वाली कुल दो (02) एसी बसे (पीछे के एक्सल पर चार पहिये हों) किराये पर लेने हेतु जो कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जैसलमेर से सानु खदान तक ड्यूटी पर सामान्य एवं अन्य पालियों में लाने एवं ले जाने के लिए प्रयुक्त होगी, जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 125 कि.मी. का माना जाएगा।  मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद का होना आवश्यक है।	रु. 185000/-	2(दो) वर्ष रुपये 92.64 लाख
निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय/अप्रतिदेय) का मूल्य रूपये 4720/- (वस्तु एवं सेवाकर सहित) डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक द्वारा आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम देय हो।		
ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क	रुपये 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो।	
निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा विक्रय डाउनलोड करने की तिथि दिनांक 28.08..2019 से 19.09..2019 दोपहर 1.00 बज तक	
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 20.09.2019 अपरान्ह 3.30 बजे	
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें <a href="http://www.rsmm.com">www.rsmm.com</a> , <a href="http://sppp.rajasthan.gov.in">sppp.rajasthan.gov.in</a> , व <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">eproc.rajasthan.gov.in</a> पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।		

निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए प्रि-क्वालिफाइड किया जावेगा:

1. निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 23.16 लाख का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2016-17, 2017-18 अथवा 2018-19 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है
2. निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ट संख्या-(iii) के अनुसार निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने की स्थिति में 100/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल (गैर न्यायायिक) स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र की

शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि, नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है । “इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा ।”

ई-निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई-निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि [www.rsmm.com](http://www.rsmm.com), [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) तथा [sppp.rajasthan.nic.in](http://sppp.rajasthan.nic.in) पर उपलब्ध है ।

निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी । टेंडर फीस व प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी । बयाना राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट ई निविदा प्रस्ताव (प्रथम भाग) के मूल दस्तावेजों के साथ जोधपुर स्थित कार्यालय में निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व जमा कराने होंगे। निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वह [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) वेबसाईट पर दी गई जानकारीयों को पढ़ें तथा उनको समझ कर ऑनलाईन निविदा उसी के अनुसार भरें । इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी /संस्था को निविदायें अहस्तान्तरणीय मूल्य/दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी । प्राप्त निविदाओं उपरोक्तानुसार तिथि को संस्थान के एस.बी.यू. एवं पी.सी.-लाईमस्टोन, जोधपुर स्थित कार्यालय में ऑनलाईन खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है । फैंक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी।

जिन निविदाकर्ताओं को कंपनी द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया गया हो वो प्रतिबंध और निलंबन अवधि के दौरान निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे ।

**महाप्रबंधक (एलएस)**

**नोट :** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा में किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के लिये निविदा की देय तिथी तक हमारी वेबसाईट देखें ।

## अनुभाग—प्रथम

### 1.00 परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

- 1.1 “आरएसएमएमएल” या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-89-90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर-302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4- मीरों मार्ग, उदयपुर- राजस्थान है।
- 1.2 अनुबंधकर्ता : अनुबंध के अन्तर्गत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटिव को भी सम्मिलित किया गया है।
- 1.3 वैधानिक दायित्व : खान/कार्य क्षेत्र से संबंधित मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है।
- 1.4 स्वीकृति का अर्थ है कम्पनी/इन्जिनियर इन्चार्ज/ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है।
- 1.5 प्राधिकरण अधिकारी : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध संचालक से है।
- 1.6 प्रबंध निदेशक : प्रबंध निदेशक का अर्थ है आरएसएमएमएल के प्रबंध निर्देशक से है।
- 1.7 अनुबंध : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है। इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताएँ, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फ़ैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है।
- 1.8 अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा में वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है।
- 1.9 आफिसर इन्चार्ज का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय-समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है।
- 1.10 महा प्रबंधक (एलएस) : का अर्थ है आरएसएमएमएल लाईमस्टोन ईकाइ के महा प्रबंधक (एलएस) से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में महा प्रबंधक – लाईमस्टोन ईकाइ का उत्तराधिकारी हो को शामिल किया गया है।
- 1.11 समूह महा प्रबंधक (एलएस) : का अर्थ है समूह महा प्रबंधक/मुख्य एवं प्रभारी एस.बी.यू. एवं पी.सी.-लाईमस्टोन, जोधपुर, आरएसएमएमएल या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महा प्रबंधक (एलएस) का उत्तराधिकारी हो, को शामिल किया गया है।

- 1.12 एजेन्ट : आरएसएमएमएल, एस.बी.यू. एवं पी.सी.—लाईमस्टोन, जोधपुर के अधीन खानों में खान अधिनियम के तहत नामित अधिकारी ।
- 1.13 खान प्रबन्धक : आरएसएमएमएल, एस.बी.यू. एवं पी.सी.—लाईमस्टोन, जोधपुर संभाग के अधीन जैसलमेर ईकाइ की सानू लाईमस्टोन की दोनों खानों /गोटन ईकाइ लाईमस्टोन की समस्त खानों में खान अधिनियम के तहत नियुक्त माईनिंग अभियन्ता
- 1.14 LOA /DLOA : से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमेल/ फ़ैक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फ़ैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।
- 1.15 लिखित सूचना : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है ।
- 1.16 साईट का अर्थ भूमि या अन्य स्थान से हैं, जहाँ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है ।
- 1.17 टेण्डर : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा, बाद में किये गये विचार विमर्श, वार्तालाप, जो कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।



# राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी( लाइम स्टोन) कार्यालय  
8, वेस्ट पटेल नगर  
सर्किट हाउस रोड, जोधपुर- 342011 (राज.)  
फोन: 0291-2511031, फॅक्स: 0291-2511029

रजिस्टर्ड कार्यालय –  
आर.एस.एम.एम.लिमिटेड,  
सी-89-90, जनपथ, लालकोठी स्कीम,  
जयपुर-302015

निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20/ दिनांक :28.08.2019

## निविदा प्रपत्र

### अनुभाग – द्वितीय

#### **1. सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर**

सानु लाइम स्टोन खदान, जैसलमेर-रामगढ बी. आर. ओ. सड़क पर जैसलमेर से लगभग 54 कि.मी. की दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित है ।

#### **2.0 बसों का कार्य क्षेत्र**

2.1 कम्पनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जैसलमेर से प्रत्येक पालियों में ड्यूटी हेतु सानु लाइम स्टोन खदान, पर लाना एवं ड्यूटी के पश्चात् वापस ले जाना । वर्तमान में सामान्य पाली का समय प्रातः 9:00 से सायः 5:00 बजे तक एवं प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पाली का समय क्रमशः प्रातः 6:00 से दोपहर 2:00, 2:00 से रात्री 10:00 एवं रात्री 9:00 से प्रातः 6:00 बजे तक रहता है ।

2.2 निविदा में वर्णित बसों का उपयोग कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सामान्यतः निर्धारित मार्ग द्वारा जैसलमेर से सानु लाइम स्टोन खदान तक सप्ताह के प्रत्येक दिन मंगलवार से रविवार (6 दिवस), लाना व लौटना होगा । सामान्यतः प्रत्येक सोमवार(साप्ताहिक अवकाश) के दिन केवल 32 सीटर बस का ही संचालन सामान्य पाली में होगा, परन्तु आवश्यकता अनुसार पूर्व सूचना पर अन्य तीनों पालियों में भी 21 सीटर बस का संचालन भी करना होगा । प्रत्येक ट्रिप 125 कि. मी. दोनों तरफ(आना व जाना) का माना जाएगा ।

2.3 बस (21-सीटर) प्रति कार्य दिवस में (03) तीन ट्रिप तीनों पालियों में एवं बस (32 सीटर) केवल एक ट्रिप सामान्य पाली में करेगी । सामान्य पाली की 32 सीटर बस का सानु माईन्स पहुंचने पर, पुनः जैसलमेर प्रस्थान करने तक 8 घण्टे की अवधि के लिये ठहराव सानु माईन्स पर रहेगा । यदि किसी कारणवश सामान्य पाली हेतु, 32 सीटर बस उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उसके स्थान पर 21 सीटर बस सामान्य पाली हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं तो जैसलमेर लौटने के अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा एवं उस दिन 21 सीटर की बस की दर पर ही उस ट्रिप का भुगतान देय होगा ।

2.4 बस का सामान्य रूट प्रत्येक पाली में डी. आर डी.ए. बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन होते हुये गांधी कालोनी, खनिज भवन(बी. पी. टैन्क) से सुली जूंगर वाया हनुमान चौराहा, गीता आश्रम से डेडानसर रोड, रामगढ रोड बाई पास होते हुये उक्त सानु खदान तक के लिए आने व जाने के लिए होगा ।

2.5 कम्पनी की आवश्यकतानुसार बसों के रूट में परिवर्तन किया जा सकता है । बसों के सम्बन्ध में रूट निर्धारण व इसमें परिवर्तन आदि के लिए कम्पनी के इकाई प्रमुख जैसलमेर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा । भविष्य में मार्ग परिवर्तन होने की अवस्था में माईलेज कम या ज्यादा भी हो सकता है ।

2.6 मासिक बिलों के भुगतान हेतु स्वीकार्य नियत किलोमीटर:-

(i) 32 सीटर हेतु – 3,750 (30\*125) किमी प्रतिमाह ।

(ii) 21 सीटर हेतु – 9,750 (26\*3\*125) किमी प्रतिमाह ।

यदि किसी माह में किसी भी बस का नियत किलोमीटर के अतिरिक्त संचालन होता है तो ऐसी स्थिति में अनुबन्धकर्ता को उसके द्वारा उस माह हेतु देय नियत किलोमीटर की दरों के आधार पर अनुपातिक दर की गणना के अनुसार भुगतान देय होगा ।

उपरोक्त कार्य की मात्रा सांकेतिक मात्र हैं। परन्तु कार्य का भुगतान किये गये कार्य की वास्तविक ट्रिप संख्या के आधार पर ठेके की निर्धारित कार्य की दरों [क्रम संख्या 1 व 2, मूल्य भाग (द्वितीय भाग)] के अनुसार किया जायेगा ।

### 3.0 स्वामित्व

- 3.1 कम्पनी को किराये पर मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद की दो एसी बसे (21-सीटर एवं 32 सीटर) जिसके पीछे के एक्सल पर चार पहिये हो, कार्य हेतु उपलब्ध करानी होगी ।
- 3.2 प्रत्येक निविदाकर्ता को दोनो प्रकार की बसे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । किसी भी एक बस के लिए भरी गई निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी ।
- 3.3 उपरोक्त क्लॉज 3.1 के अनुरूप, निविदाकर्ता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर-अन्दर उक्त बसे उपलब्ध करवा देगा तथा शर्त सं. 9.14.2 के अनुसार प्रस्तावित बस सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
- 3.4 कम्पनी को एसी बस (21सीटर) प्रत्येक कार्य दिवस में (03) तीन ट्रिप एवं एसी बस ( 32 सीटर) एक ट्रिप माह के सम्पूर्ण दिवस, सोमवार साप्ताहिक अवकाश सहित जिसके पीछे के एक्सल पर चार पहिये हो, बस में बैठने की क्षमता कम से कम 32 अथवा 21 सीटें हो, जिसमें वाहन चालक की सीट भी सम्मिलित हो, उपलब्ध करानी होगी । निविदाकर्ता चाहे तो 32-सीटर एं वम 21 सीटर से अधिक क्षमता की बस भी उपलब्ध करवा सकता है परन्तु कम्पनी द्वारा इसके लिये अलग से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

### 4.0 पात्रता

- (1) निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 23.16 लाख का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2016-17, 2017-18 अथवा 2018-19 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है । कारोबार के पक्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बैलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है ।
- (2) निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ट संख्या-(iii) के अनुसार निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने की स्थिति में 100/- रुपये के नोन ज्यूडिशियल (गैर न्यायाधिक) स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि, नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है । “इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा।”

**नोट:-** जिन निविदाकर्ताओं को कंपनी द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया गया हो वो प्रतिबंध और निलंबन अवधि के दौरान निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे ।

### 5.0 संविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता

निविदा की मान्यता निविदा खोलने की तिथि से 120 दिवस तक मान्य रहेगी ।



## 6.0 कार्य अवधि

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 2 (दो) वर्ष के लिए होगा। सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश/एल0ओ0ए0 मिलने के 30 दिन के भीतर निविदा में वर्णित काम शुरू करना आवश्यक होगा। उक्त कार्य अवधि प्रबंधन अपने स्वविवेक से समान कार्य दरो एवं शर्तों पर 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

## 7.0 बयाना/ धरोहर राशि

- 7.1 संविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रूपये 185000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट बयाना राशि (EMD) के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम.लि., जोधपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
- 7.2 बिना बयाना राशि के संविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
- 7.3 बयाना राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- 7.4 असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता द्वारा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी।
- 7.5 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को, यदि निविदाकर्ता चाहे तो, धरोहर राशि (SD) में समायोजित किया जा सकेगा।
- 7.6 यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश जारी करने की तिथि के पश्चात् इक्कीस (21) दिनों में कार्यारम्भ नहीं जाता है तो, बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके साथ अनुबंध भी निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे असफल निविदाकर्ता को भविष्य में कम्पनी की किसी भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

## 8.0 अमानत राशि (Security Deposit)

- 8.1 धरोहर राशि कुल अनुबंधित राशि (Total Contract Value) की 10% (प्रतिशत) होगी, जो कि बैंक गारन्टी/अथवा डीडी द्वारा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., जोधपुर के पक्ष में देय होगी। बैंक गारन्टी उचित मूल्य के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प पेपर (प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम) कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में (एसबीआई को छोड़कर किसी भी पीएसयू बैंक से/आईसीआईसीआई/एक्सिस/एचडीएफसी बैंक से दी जा सकती है।
- 8.2 बयाना राशि के समायोजन करने के पश्चात् निविदाकर्ता को बकाया अमानत राशि (SD) डी.डी./ई-पेमेन्ट/बैंक गारंटी के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र जारी होने के तीस (30) दिन के अन्दर-अन्दर जमा करानी होगी।
- 8.3 अगर सफल निविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।
- 8.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर क्षतिपूर्ति कर ली जायेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में यदि कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।
- 8.5 धरोहर राशि अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि अनुबन्धकर्ता ने सभी प्रकार की कटौतियाँ, चालकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया हो व इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।
- 8.6 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

## 9.0 ई-निविदा प्रक्रिया:-

- 9.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर ईलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 9.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
- 9.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा तथा तत्पश्चात् ही ई-निविदा को ऑन-लाईन भरने के लिए पात्र होगा ।
- 9.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई-निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट-2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई-निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बिना उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी ।
- 9.5 डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा ।
- 9.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन-लोड किया जावेगा ।
- 9.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है । तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है ।
- 9.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बर्षते कि निविदाकर्ता ने अपेक्षित निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जोधपुर के नाम देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर) के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि (आर.एस.एम.एम.एल., जोधपुर के नाम देय) जमा कराई है ।
- 9.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई-निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है । उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई-निविदा मान्य नहीं होगी ।
- 9.10 उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल शपथ पत्र को महा.प्रबन्धक, एसबीयू-पीसी (लाइम स्टोन), जोधपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेगा । इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ-साफ अक्षरों में अंकित करेगा । निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 9.11 ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी । निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 4720/- का तथा निर्धारित बयाना राशि रूपये 185,000/- जोकि ई-पेमेन्ट/डी.डी./बी.सी. जोकि आर.एस.एम.एम.एल., जोधपुर के पक्ष में देय है ।
- 9.12 निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित डी.डी./जमा राशि के विवरण आदि ई-निविदा भरते समय ई-निविदा पोर्टल में भी इन्द्राज करना होगा ।
- 9.13 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल

डी.डी./बी.सी./ई-पेमेन्ट जमा से सम्बन्धित ट्रांजेक्शन आई.डी., प्रमुख एवं प्रभारी SBU-PC(LS), एसबीयू-पीसी (लाइम स्टोन), 8, वेस्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड, जोधपुर – 342011 के कार्यालय में निविदा के निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा ।

9.14 ई-निविदा प्रपत्र दो भागों में भरा जायेगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :-

प्रथम भाग- तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

द्वितीय भाग- कार्य की दरें (Rate - Part)

9.14.1 प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-Commercial Part)

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ट-(i) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करनी है:-

(अ) वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई-पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण ।

(ब) नाम, पता, ई-मेल, टेलिफोन नं०, मोबाइल नं., फैक्स नं० इत्यादि की जानकारी ।

(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति

(द) वस्तु एवं सेवा कर प्रमाण पत्र(GST Certificate) की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणित फोटो प्रति ।

(य) स्थाई खाता संख्या(पैन कार्ड नम्बर) की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि ।

ii) वाहनों पर नियुक्त चालकों की जानकारी परिशिष्ट-(ii) में प्रस्तुत करना ।

iii) नये वाहन का 30 दिवस में लगाने का शपथ पत्र परिशिष्ट-(iii) के अनुसार ।

iv) कारोबार से प्राप्तियाँ रु. 23.16 लाख हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कॉपी । कारोबार के पक्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है ।

iv) पात्रता के संबंध में शर्त संख्या 4.00 के अनुसार वांछित शपथ पत्र परिशिष्ट-(iv) के अनुसार ।

v) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ट-(v) के अनुसार देनी होगी ।

vi) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ट-(vi) के अनुसार घोषणा ।

vii) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ट-(vii) प्रस्तुत करना होगा ।

ix) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ट संलग्न किये हैं:-

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1

Annexure D: Additional Conditions of Contract.

नोट- **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है ।

- x) ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./ बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी ।

9.14.2 **बस के संबंध में :-**

- i) कंपनी में लगाए जाने वाले मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद के मॉडल की बस ( एसी 21 सीटर) एंवम बस (एसी 32 सीटर), जिसके पीछे के एक्सल पर चार पहिये हो, के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र (परिशिष्ट-iii) के अनुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र ।
- ii) कंपनी में लगाए जाने वाली प्रस्तावित बस के अंदर से तथा बाहर से लिए गए रंगीन केबिनेट साईज के फोटो चित्र ।
- iii) बस का कम्प्रेहेंसिव बीमे की स्वयं निविदाकर्ता द्वारा सत्यापित फोटो प्रति ।
- iv) बस के रोड परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।
- v) बस के सम्पूर्ण चुकता रोड टैक्स इत्यादि की सत्यापित फोटो प्रति ।
- vi) बस के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।

उपरोक्त सभी को मिलाकर पूरा तकनीकी-वाणिज्यिक भाग होगा व इन्हें एक ही लिफाफे में बंद कर, जिसके बाहर तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव तथा निविदा की संख्या, निविदा खोलने की तारीख और निविदाकर्ता का नाम व पता स्पष्ट लिखकर पंजिकृत डाक द्वारा जोधपुर कार्यालय मे भेजना होगा । निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों की सहमति के पक्ष में निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।

9.14.3 **द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)**

- कार्य की दरें ऑन-लाइन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें । निविदाकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे पूर्ण सावधानी पूर्वक शब्दों व अंकों में दरें समान ही भरेंगे । शब्दों व अंकों में दरें असमान पाये जाने पर, न्यूनतम वाली दर ही स्वीकार्य होगी ।
- द्वितीय भाग – कार्य की दरें ऑन-लाइन निविदा भरने का प्रारूप परिशिष्ट-(viii) के अनुसार है ।
- निविदाकर्ता, यह विशेष ध्यान दे कि, कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी अन्य भाग में( द्वितीय भाग के अतिरिक्त) अंकित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

- 9.15 प्रथम तकनीकी-वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पूर्व सूचना द्वारा अवगत करा दिया जाएगा ।

10.0 **ई-निविदा प्रपत्र को भरना:-**

- 10.1 निविदाकर्ता को सम्पूर्ण निर्धारित रूट के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा, ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी संपूर्ण निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है ।

- 10.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
- 10.3 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों की स्वीकृति हेतु **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।**
- 10.4 ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा दर प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण केवल संदर्भ के लिए ही होगा । निविदा हेतु प्राप्त दर प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा ।

## 11. निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश

- 11.1 सफल निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा। उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को ही कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र की नेगोशियेशन सम्बन्धित शर्त सं. 12 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है । न्यूनतम दर प्रस्ताव का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-
- **(प्रथम बस की दर) x 720 + (द्वितीय बस की दर ) x 1872**
- 11.2 निविदाकर्ता को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति पर पावती लिखित में देनी होगी तथा बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया अमानत राशि (SD) का भुगतान डी.डी./ई-पेमेण्ट/बैंक गारंटी के रूप में कार्य आदेश देने की तिथि से तीस (30) दिन के अन्दर करना होगा एवं कार्य आदेश जारी होने के तीस (30) दिनों के अन्दर-अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा ।
- 11.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति देने के 30 (तीस) दिन के अन्दर-अन्दर कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।
- 11.5 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात अनुबन्धकर्ता माना जावेगा ।
- 11.6 अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध समझौता, अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करने के पश्चात, जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, को प्रस्तुत करने पर ही कम्पनी द्वारा अनुबन्धकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा ।

## 12. नेगोशियेशन

- 12.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L<sub>1</sub>) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर ऑफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L<sub>2</sub>) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L<sub>3</sub>) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर ऑफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।
- 12.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है, तब सम्बन्धित निविदाकर्ता को उसके द्वारा पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

12.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिनिधि को अधिकृत करने हेतु लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका उक्त प्रतिनिधि उसके द्वारा निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

#### 13.0 वस्तु एवं सेवा कर एवं दरें

- I. निविदादाता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो कि निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।
- II. वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।
- III. यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- IV. कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit ( ITC) के कारण पैसेल्टी लगने की परिस्थिती में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती हैं।
- V. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के ड्यूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोड़कर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।
- VI. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं ड्यूटी बढ़ती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं ड्यूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं ड्यूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबंधकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

#### 14.0 बिलों का भुगतान

- 14.1 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।
- 14.2 महिने का कार्य पूर्ण होने पर अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह की प्रथम सप्ताह में अधिकतम 7 तारीख तक बिल, दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- 14.3 अधिकृत प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित दोनो बसो के लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
- 14.4 साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान, बिल प्रस्तुति के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर, समस्त वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद RTGS/NEFT द्वारा सीधे अनुबंधकर्ता के बैंक खातों में कर दिया जाएगा ।
- 14.5 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि किसी दिवस या अवधि में बस का उपयोग सम्भव नहीं हो पाता है तो, ऐसे दिवस/ अवधि का कोई भी भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति दावा या अन्य किसी मद में किये गये दावे की राशि का भुगतान कम्पनी द्वारा देय नहीं होगा ।

14.6 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

#### 15.0 बस का उपयोग

15.1 बस का उपयोग सामान्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जैसलमेर से सानू खदान के कार्यालय पर ले जाने एवं वापसी यात्रा के लिए सामान्य पाली एवं अन्य तीनों पालीयों में किया जाएगा। सामान्यतः बस का मुख्यालय जैसलमेर ही रहेगा, परन्तु विशेष परिस्थितिवश प्रबन्धन द्वारा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

15.2 बस के संचालन में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि भी की जा सकती है । इस परिवर्तन की सूचना अधिकृत कार्य प्रभारी/इकाई प्रमुख, द्वारा सामान्यतः पर्याप्त समय पूर्व दे दी जाएगी । अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है ।

#### 16.0 डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

16.1 प्रत्येक माह में डीजल की दरों में वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) होने की स्थिति में सम्बन्धित माह हेतु देय कार्य दरों की गणना करने के लिए डीजल की दर, सम्बन्धित माह की पन्द्रह (15) तिथि को प्रचलित दर ही सम्पूर्ण माह के लिये मान्य होगी, अतः इसके पक्ष में प्रत्येक माह के बिल के साथ जैसलमेर (शहर) में स्थित IOCL/HPCL/BPCL के रिटेल आउटलेट की दर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

16.2 प्रत्येक माह में डीजल की दरों में वृद्धि या कमी के आधार पर निम्नलिखित फॉर्मूले (सूत्र) के अनुसार दर रु. प्रति ट्रिप की गणना की जायेगी :-

**(i) 32 सीटर बस की प्रति ट्रिप के नियत दर में परिवर्तन हेतु -**

$$\frac{\{(\text{डीजल की परिवर्तित दर}) - (\text{डीजल की स्थिर दर})\} \times \text{किये गये वास्तविक ट्रिप के अनुसार बने KM}}{5}$$

**(ii) 21 सीटर बस की प्रति ट्रिप के नियत दर में परिवर्तन हेतु -**

$$\frac{\{(\text{डीजल की परिवर्तित दर}) - (\text{डीजल की स्थिर दर})\} \times \text{किये गये वास्तविक ट्रिप के अनुसार बने KM}}{6}$$

**नोट:-** 32 सीटर बस हेतु औसत किलोमीटर प्रति लीटर 5 किलोमीटर प्रति लीटर व 21 सीटर बस हेतु औसत किलोमीटर प्रति लीटर 6 किलोमीटर प्रति लीटर यथाक्रम होगा तथा यह औसत अनुबन्ध अवधि एवं अनुबन्ध के बढ़ाई गई अवधि के दौरान लागू होगा तथा सम्पूर्ण अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय होगा ।

(निविदा जारी करने की दिनांक को जैसलमेर में डीजल की स्थिर दर रु .72.22 प्रति लीटर है।)

16.3 बस संचालन दर(रु./किमी.) की लागू दरें हेतु केवल डीजल की दरों में घटत बढ़त परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का बस संचालन दर(रु./किमी.) पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

## 17.0 बसों पर नियोजित चालक

- 17.1 बसों के प्रत्येक ट्रिप के साथ केवल अधिकृत बस चालक (कॉमर्शियल लाइसेन्स धारक) स्थाई आधार पर ही नियुक्त हो ।
- 17.2 बस चालकों का स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित होना आवश्यक हैं । बस चालकों की सूचना कार्य प्रभारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–v) में देनी होगी ।
- 17.3 बस चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया बस चलाने का व्यवसायिक वैध लाइसेंस, एवं वाहन के संपूर्ण प्रपत्र जैसे पंजिकरण प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, रूट परमिट कर चुकता प्रमाण-पत्र आदि होने आवश्यक है ।
- 17.4 सामान्यतया बस चालकों में अल्प अवधि के अन्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु चालकों में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में, उसकी संपूर्ण पूर्व सूचना मय व्यवसायिक वैध लाइसेंस की प्रति के साथ कार्य प्रभारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–v में देनी होगी ।
- 17.5 पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी बस चालक की होगी तथा किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच के लिए मांगने पर बस चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी ।
- 17.6 बस चालको द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब, धूमपान अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाये जाने पर, उसे सम्बन्धित वाहन के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कम्पनी द्वारा अनुबंधकर्ता की जोखिम व लागत पर की जायेगी एवं इसका संपूर्ण भुगतान अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती द्वारा किया जाएगा ।
- 17.7 यात्रा के दौरान बस चालको की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो, उसका संपूर्ण भुगतान अनुबंधकर्ता को ही करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी भी अनुबंधकर्ता की होगी ।
- 17.8 बस पर लगाए गए चालकों का समय पर वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा देय होगा । यदि अनुबंधकर्ता बस चालकों का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक किये जाने के पक्ष में बिल के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती करके बस पर लगाए गए चालकों को देय मासिक वेतन का भुगतान कर देवे ।
- 17.9 बस पर लगाए गए चालकों का व्यवहार अथवा संचालन उचित नहीं पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को ऐसे चालकों को तुरन्त बदलना होगा ।
- 17.10 चालकों को हिन्दी पढ़ने, समझने एवं लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है ।
- 17.11 बस संचालन हेतु नियुक्त समस्त चालकों का पुलिस सत्यापन सलंगन करना आवश्यक होगा ।

## 18.0 बस के रख-रखाव के संदर्भ में

- 18.1 दोनों एसी बसें, कैलेण्डर वर्ष 2016 अथवा बाद के मॉडल की, जिनके पीछे के एक्सल पर चार पहिये हो, का होना आवश्यक हैं ।
- 18.2 (परिशिष्ट– iii) के अनुसार दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर नया वाहन ही उपलब्ध करवाना होगा ।



- 18.3 दोनों बसे निर्धारित रूट परमिट की होनी चाहिए । यदि किसी भी बस को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो जिस बस की व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा की जाती है, वह बस भी वैध रूट परमिट एवं मॉडल 2016 अथवा बाद के मॉडल की होना आवश्यक है । परमिट की एक सत्यापित/फोटो प्रति अनुबंधकर्ता को कम्पनी में जमा करवानी आवश्यक होगी ।
- 18.4 अनुबंधकर्ता को बस के साथ हर समय काम में आने वाले आवश्यक औजार जैसे-स्टेपनी एवं अन्य स्पेयर्स रखने होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।
- 18.5 बसों की सीटें 2 x 2 पुष बैक प्रकार की नई एवं उच्च तकनीकी की आरामदायक होना आवश्यक है तथा सीटें पूर्ण रूप से कवर एवं खिड़कियों पर सदैव स्वच्छ पर्दे सही हालत में हमेशा लगे होने अनिवार्य है । इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी अनुबंधकर्ता की होगी ।
- 18.6 किसी भी बस का रखरखाव/दुरुस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को उसी प्रकार की बस की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो ।
- 18.7 यदि बस को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाना है तो अनुबंधकर्ता को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस दौरान बस संचालन को सुचारू बनाये रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । स्थानीय प्रशासन द्वारा राजकीय कार्य हेतु यदि बस का अधिग्रहण किया जाता है तो उक्त दिवस/अवधि के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था अनुबंधकर्ता को ही करनी होगी । यदि अनुबंधकर्ता वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है तो कम्पनी अनुबंधकर्ता की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन रुपये 10,000/- ( रु.दसहजार)-प्रति दिन की अतिरिक्त पेनल्टी भी वसूल की जायेगी ।
- 18.8 अनुबंध की अवधि के दौरान बस का रोड टैक्स/स्पेशल रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेंसिव बीमा, रोड परमिट इत्यादि वैध होने चाहिए व इन वैध प्रपत्रों की भी एक एक फोटो प्रतिलिपि अनुबंधकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी टैक्स संविदा की अवधि के दौरान बढ़ाया जाता है तो ऐसे समस्त बढ़े हुए टैक्सों का या कोई नया टैक्स लागू किया जाता है तो उसका भुगतान अनुबंधकर्ता को स्वयं करना होगा व ऐसे भुगतानों के लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- 18.9 समय की पाबंदी इस संविदा का मुख्य आधार है । अतः, समय पर बस के खदान पर नहीं पहुँचने अथवा अनुबंधकर्ता की लापरवाही से खदान पर उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर प्रबंधन निम्नानुसार पेनल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा :-
- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| अ. | बस का निर्धारित समय से पंद्रह (15) मिनट देर से आने पर   | रु.250/-प्रति ट्रिप  |
| ब. | बस के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से आने पर   | रु.500/-प्रति ट्रिप  |
| स. | बस के निर्धारित समय से आधे घंटे के पाश्चात एक घंटे तक की देरी से आने पर   | रु.1000/-प्रति ट्रिप |
| द. | नहीं आने पर कम से कम 1,500 रुपये प्रति ट्रिप या वास्तविक लागत एवं जोखिम के भुगतान की कटौति जो भी अधिक हो तथा उस ट्रिप का भुगतान नहीं होगा । |                      |
- 18.10 बस एक निश्चित समय-सारणी व निर्धारित मार्ग पर ही संचालित होगी जिसकी सूचना जैसलमेर इकाई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुबंधकर्ता को समय पर दे

दी जाएगी । यदि समय-सारणी व निर्धारित मार्ग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना अनुबंधकर्ता को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

- 18.11 अनुबंधकर्ता को बस की लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी ।
- 18.12 बस को दुरुस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी ।
- 18.13 बस का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा । उक्त बस में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के कर्मचारी व अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।
- 18.14 बस को चलाने हेतु ईंधन, ऑयल, इत्यादि का समस्त खर्चा अनुबंधकर्ता स्वयं को वहन करना होगा । बस के साथ में प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स (First Aid Box) आवश्यक औषधियों सहित अनुबंधकर्ता को रखना अनिवार्य होगा ।
- 18.15 बस में अग्नि शमन यंत्र (Fire Extinguisher) का चालू हालत में होना आवश्यक है ।

## 19.0 स्थानीय कार्यालय

अनुबंधकर्ता को अपना स्थानीय कार्यालय जैसलमेर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि अनुबंधकर्ता की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति का नाम, सम्पूर्ण डाक पता, ई-मेल आई डी तथा सम्पर्क मोबाईल नम्बर आदि अनुबंधकर्ता को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जानी आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है ।

## 20.0 संविदा की समाप्ति

- 20.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि तीस (30) दिन में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है तथा बयाना राशि जब्त की जा सकती है ।
- 20.2 यदि अनुबंधकर्ता की सेवायें संतोषजनक नहीं हैं अथवा वह बस सात (07) दिन तक लगातार संचालन हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली अनुबंधकर्ता के बिलों अथवा अमानत राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेंगी ।

## 21.0 अनुबंधकर्ता द्वारा अपील करना

यदि अनुबंधकर्ता, प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.एम.एम.एल., 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.) व द्वितीय अपील राज्य सरकार के खान विभाग के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंगन Form No.1 (see Rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

## 22.0 न्याय क्षेत्र

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर न्यायालय ही रहेगा ।

## 23.0 विविध

- 23.1 अनुबंधकर्ता कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, टेका श्रम (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1970, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 एवं अनुबन्धित कार्य पर लागू समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इसमें उक्त अधिनियमों/नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये भी अनुबंधकर्ता पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा। निर्धारित कार्य अवधि के दौरान वाहनों के किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सभी संबंधित जिम्मेदारी, जिसमें सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है, अनुबंधकर्ता की होगी।
- 23.2 अनुबन्ध लागू होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा। अनुबंधकर्ता ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा। कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा। इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी। चूंकि अनुबंधकर्ता के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि अनुबंधकर्ता की ओर से जमा करानी होगी अतः अनुबंधकर्ता उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा। कंपनी अनुबंधकर्ता की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी। अनुबंधकर्ता ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा। कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को अनुबंधकर्ता उपलब्ध कराएगा। श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उपमहा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा।
- 23.3 सफल निविदाकार कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 मोटर यान एक्ट 1988, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों की निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

- 24.0 अनुबंधकर्ता को स्थान, मार्ग आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निविदा में किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।
- 25.0 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

### निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... यह घोषणा करते/करती हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता मय मोहर



**राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड**  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20 दिनांक 28.08.2019.

**प्रथम भाग-तकनीकी एवं वाणिज्यिक**

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्र. सं.	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या व राशि / ई-पेमेन्ट द्वारा भुगतान का विवरण ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई-मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजीयन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	निविदाकर्ता का कुल कारोबार (कम से कम रु. 23.16 लाख )-( प्रतिवर्ष कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।)	
	वर्ष 2016-17	रु.....
	वर्ष 2017-18	रु.....
	वर्ष 2018-19	रु.....
5.	निविदाकर्ता को रूपये 100/- के नोन ज्यूडिशियल (गैर न्यायाधिक) स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते एक नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। {परिषिष्ट संख्या-(iii)}	
4.	निविदा प्रपत्र की शर्त संख्या 4.0 के अनुसार पात्रता के संबंध में वाँछित शपथ-पत्र ।	हाँ/ नहीं
5.	निविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये संलग्न शपथ पत्र ।	हाँ/ नहीं
6.	पी.एफ.कोड या शपथ पत्र ।	हाँ/ नहीं
7.	वस्तु एंवम सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ।	हाँ/ नहीं
8.	Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications के अनुसार वाँछित घोषणा ।	हाँ/ नहीं
9.	स्थाई खाता संख्या (PAN Card) की प्रति संलग्न करें ।	
10.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब-साईट से डाउन-लोड किया है तो निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण ।	डी.डी. नं. .... रु. ....दिनांक ..... .....

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय  
मोहर

संलग्नक :-

**घोषणा**

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

## प्रारूप

निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मिनी बस पर नियुक्त चालक का विवरण (दोनों बसों के लिये अलग-अलग प्रारूप भरे जायेंगे)

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु/जन्म तिथि
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या मय वैधता की तिथि
7. यात्री वाहन का पंजीकरण क्रमांक
8. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
9. शैक्षणिक योग्यता
10. कार्यानुभव की अवधि मय प्रमाण-पत्र
11. चालक का मोबाइल न.

नोट:— उक्त चाही गई सूचना से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर-----  
 निविदाकर्ता का नाम:(.....)  
 दिनांक:.....

(To be typed on Non-Judicial Stamp of Rs.100/-)

परिषिष्ट-(iii)

**प्रारूप**  
**शपथ पत्र**

मैं..... पुत्र.....जाति .....  
निवासी ..... तहसील.....  
.जिला.....(राज0) शपथ पुर्वक बयान करता हूँ -

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्या: निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20 दिनांक 28/08/2019. के तहत मेरे पक्ष में यदि कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 30 ( तीस ) दिवस के अन्दर-अन्दर 21-सीटर एवं 32 सीटर की दोनों एसी बसें आपको उपलब्ध करवा दूँगा ।
2. यह है कि यदि मैं 30 ( तीस ) दिवस के अन्दर उपरोक्त दोनों बसे मॉडल 2016 अथवा बाद की उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि रुपये 185000/- जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

ह. निविदाकर्ता

**तस्दीक**

मैं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं ।  
इति दिनांक:

ह. निविदाकर्ता

## प्रारूप

(रु.100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है )

## शपथ पत्र

मैं .....पुत्र,.....जाति .....आयु.....निवासी  
गाँव/कस्बा/मोहल्ला, मकान सं0.....तहसील ..... जिला .....  
(राज्य)..... शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ कि :-

1. यह है कि मैसर्स ..... ने आरएसएमएम लिमिटेड की सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर पर एक एसी बस (32 सीटर ) एंवम एक (01)एसी बस (21-सीटर) क्षमता की दो (02) एसी बसे (पीछे के एक्सल पर चार पहिये हों) किराये पर लेने हेतु, जो कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जैसलमेर से सानु खदान तक सामान्य एवं अन्य पारियों में ड्यूटी पर लाने एवं लौटने के लिए प्रयुक्त होगी एवं जिसका एक ट्रिप (आना- जाना) 125 कि.मी. का माना जाएगा । मेरे द्वारा प्रस्तावित मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद का होगा । जिनके संचालन कार्य के लिए निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है । निविदा प्रपत्र को मैंने भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया है तथा इसमें वर्णित सभी शर्तें एवं नियम मुझे मान्य हैं ।
2. यह है कि मैसर्स ..... के पक्ष में यदि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा कार्य आदेश जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि, मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारु रूप से एवं बिना किसी शर्त करने को तैयार हूँ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य आदेश के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊँगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा जारी किये गये कार्य आदेश के अनुसार यदि मैं कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में विलम्ब करता हूँ अथवा असफल रहता हूँ तो कम्पनी को कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भविष्य में आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने का पात्र नहीं माना जावे, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का विरोध/ आपत्ती नहीं करूँगा ।

शपथकर्ता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

## सत्यापन

मैं उक्त ..... ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र के समस्त पैरा 1 से 4 तक पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में पढ़ एवं समझ कर अपने हस्ताक्षरों से कुल मुद्रांक रूपये 100/- के स्टाम्प पर गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिया है, जोकि सनद् रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक-

स्थान:

गवाह 1. हस्ताक्षर.....  
(गवाह का नाम व पूरा पता)

2. हस्ताक्षर .....  
(गवाह का नाम व पूरा पता)



Undertaking

I/We in respect of submission of tender to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any deviations to the tender terms & conditions.
2. We have not been ever banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.
3. No any legal case is pending against us with RSMM Ltd.
4. I hereby declare that if work is awarded to me then the Goods & Service Tax (GST) component on this work will be @.....% and @ .....% of work value as per rules applicable under GST.

( )  
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:  
Place:

(On the letter head of the tenderer)

**DECLARATION**

**Declaration for Registration under  
Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006**

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006. \_\_\_\_\_(Yes/No).
2. If yes, please furnish the declaration given below.  
  
We (Name of Tenderer \_\_\_\_\_), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as \_\_\_\_\_ (Micro, Small & Medium ) Enterprises.
3. Enclose attested copy of registration certificate.
4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:

Place:

( To be typed on non judicial stamp of Rs. 100/- attested by notary  
public/magistrate)

I.....S/o Shri ..... Age..... years,  
resident of ..... on behalf  
of the tenderer i.e. M/s .....  
..... hereby undertake oath and state as under:-

- 1) That I have submitted a tender for Hiring of Buses.
- 2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
- 3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).
- 4) That in case during the currency of the contract, if I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent  
(Authorised Signatory)

**VERIFICATION**

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and as far my personal knowledge is correct, and that no part of it is wrong /nothing material has been concealed. So, God may please help me.

Deponent  
(Authorised Signatory)



## राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्या : RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-09/2019-20 दिनांक 28.08.2019.

### द्वितीय भाग

#### दर प्रस्ताव ( Rate Part-BOQ)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑन-लाईन BOQ में ही भरना होगा, निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्शाया गया है :-

क्र.सं	कार्य की प्रकृति	कार्य अवधि	कुल ट्रिप	प्रति ट्रिप की दर (रु.)	कुल राशि
1.	2	3	4	5.	6.
1	सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर पर एक एसी बस (32 सीटर ) 2X2 पुष बैक सीटों वाली किराये पर लेने हेतु जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 125 कि.मी. का माना जाएगा ।  कुल प्रति दिन ट्रिप = एक मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद का होना आवश्यक है ।	2 वर्ष	720	BOQ में ही ऑन-लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी	
2	सानु लाइम स्टोन ईकाई जैसलमेर पर एक एसी बस (21-सीटर ) 2X2 पुष बैक सीटों वाली किराये पर लेने हेतु जिसका एक ट्रिप (आना-जाना) 125 कि.मी. का माना जाएगा ।  कुल प्रति दिन ट्रिप = तीन मॉडल वर्ष 2016 अथवा बाद का होना आवश्यक है ।	2 वर्ष	1872	BOQ में ही ऑन-लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी	
<b>योग कुल राशि= (क्र.सं. पक्ति 1 के कॉलम 6 + क्र.सं. पक्ति 2 के कॉलम 6)</b>					

नोट :

- संवेदक द्वारा BOQ में ही ऑन-लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी ।
- अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी ।
- उपरोक्त दर में **जी.एस.टी. को शामिल नहीं किया गया है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगा ।**
- उपरोक्त कार्य हेतु न्यूनतम दर प्रस्ताव का निर्धारण निविदा प्रपत्र के क्लॉज 11.1 के अनुसार किया जाएगा ।
- उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निविदाकार का नाम व पद \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

टेलिफोन नं० \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

### Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

---

**Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our bid submitted with RSMML ..... for services of .....(Name of work) in response to their Notice Inviting No. .... Dated ..... I/We hereby under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, declare that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

### **Grievance Redressal during Procurement Process.**

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,  
Department of Mines & Petroleum,  
Secretariat,  
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,  
Department of Finance,  
Secretariat,  
Jaipur

#### **(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying

- the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (6) **Fee for filing appeal**
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
  - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) **Procedure for disposal of appeal**
- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
  - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
    - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
    - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
  - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
  - (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.





राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Form No.1  
(see rule 83)

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,  
2012**

Appeal No. .... of .....  
Before the ..... (first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : .....  
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer: .....  
.....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

## **Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

\* \* \* \* \*

**PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR EARNEST MONEY DEPOSIT**

(To be issued by any Public sector bank(except SBI)/ICICI/Axis/HDFC Bank having its Branch at Udaipur on non-judicial stamp paper of 0.25% of BG value maximum of Rs. 25000/-)

B.G. No. \_\_\_\_\_

Dated \_\_\_\_\_

This Deed of Guarantee made between \_\_\_\_\_ Bank, having its registered office at \_\_\_\_\_ and its head office at \_\_\_\_\_ and wherever the context so required include its successors and assignees ( hereinafter called the Surety/ Bank) & Rajasthan State Mines & Minerals Limited, a Company incorporated and registered under the Indian Companies Act, 1956, having its registered office at 89-90, Janpath, Lal Kothi, Jaipur and Corporate Office at 4 Meera Marg, Udaipur 313004, Rajasthan, and wherever its context so required includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Company').

Whereas the company having agreed to furnish BG for EMD from M/s \_\_\_\_\_ a company/ partnership firm \_\_\_\_\_ (address of registered / H.O.) wherever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Tenderer' ) from the demand under the terms and conditions of tender no RSMM/CO/ GGM(Cont)/Cont-..... For Loading of Limestone Gitti of Various sizes into Tippers/ Dumpers from Crusher Hopper (s) and different stacks lying at Company's Sanu Limestone Mines, Distt. Jaisalmer, its transportation from Mines to Railway Siding at Jaisalmer Railway Station, and its unloading, stacking, watch & ward and mechanized loading of Limestone Gitti into Railway Wagons using Front End Loaders etc.(hereinafter called 'the said Tender) of Earnest Money Deposit to be paid in cash or by Demand Draft for the due fulfillment by the said tenderer of terms and condition contained in the said tender on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. ....

Now this deed witnesseth that in consideration of said bank having agreed on the request of the Tenderer to stand as surety for payment of Rs. .... as Earnest Money deposit to the company subject to the following conditions.

- (i) We, \_\_\_\_\_ (Bank) do hereby undertake to pay to the company an amount not exceeding Rs. .... against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said Tenderer of any of the terms and /or conditions contained in the Agreement ( the decision of the company as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us).
- (ii) We, \_\_\_\_\_ (bank) do hereby undertake without any reference to the Tenderer or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the company and the Tenderer before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said tenderer of any of the terms and condition contained in the said tender by reason of the said tenderers failure to keep the said tender open. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ....

(iii) We, \_\_\_\_\_ (bank) further agree that the guarantee hereinabove contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the finalization of the said tender and that it shall continue to be enforceable the said tender till the said tender is finally decided and order placed on the successful tenderer and / or till the company certifies that the terms and the conditions of the said tender have been fully and properly carried out by the said tenderer and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before ....., the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/ divisional office or Udaipur branch office under the signatures of the company's F.A or GM(Cont.) shall be deemed to be sufficient demand under this guarantee.

- (iv) In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we (bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Tenderer hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Tenderer and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the Tenderer
- (v) This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the tenderer or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the Tenderer nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment of amount not exceeding Rs. .... is made by the Bank.
- (vi) The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other Earnest Money/guarantee/promissory note from any person and/or the Tenderer and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.
- (vii) We, \_\_\_\_\_ (Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.
- (ix) The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under Power of Attorney date \_\_\_\_\_ granted to him by the Bank.
- (x) For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Udaipur courts in the state of Rajasthan along shall have jurisdiction

**IN WITNESSETH I, hereby \_\_\_\_\_, son of \_\_\_\_\_ (designation) \_\_\_\_\_ (branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which being issued on non-judicial stamp as per Stamp Act Prevailing in the state of Rajasthan, executed on this date \_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, 20...**